



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2025

विषय:- गुण्डा एक्ट के प्रकरण में जिला बदर अपराधी थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम एवं घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.05.2025 को लंका पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर साकेत नगर कालोनी पार्क नं0- 01 के पास से 01 नफर अभियुक्त संजय खत्री पुत्र स्व0 भागीरथी प्रसाद खत्री निवासी B- 32/298 आर-1-A साकेत नगर कालोनी थाना लंका वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। थाना लंका पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण:-

दिनांक 04.05.2025 को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की साकेत नगर कालोनी निवासी जिला बदर अपराधी संजय खत्री अपने घर साकेत नगर कालोनी में पार्क नं0 एक के पास मौजूद है और कही जाने की फिराक में है, इस सूचना पर थाना लंका पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त संजय खत्री उपरोक्त को साकेत नगर कालोनी पार्क नं0- 01 के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संजय खत्री उपरोक्त को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी द्वारा वाद संख्या 321/24 सरकार बनाम संजय खत्री अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 व दिनांक 07/04/25 से 04 माह हेतु जिला बदर किया गया है। जिसके आदेश की तामिला दिनांक 18/04/25 को बजात खास कराया गया था। अभियुक्त उपरोक्त जिला बदर की अवधि में मा0 न्यायालय की आदेशो का उल्लंघन करते हुये अपने घर पर लुक- छिप कर रहा है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की हद तक पहुंचाता है। अतः अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. संजय खत्री S/O स्व0 भागीरथी प्रसाद खत्री निवासी B- 32/298 आर-1-A साकेत नगर कालोनी थाना लंका कमि0 वाराणसी उम्र करीब 49 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 04.05.2025 को साकेत नगर कालोनी पार्क नं0- 01 के पास, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय खत्री

1. मु0अ0सं0 0148/2025 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0265/2024 धारा 147/452/354क/504/506/427/352 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) व 3(2) एससी/एसटी एक्ट थाना लंका, कमि0-वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0277/2022 धारा 147/294/323/427/504/506 भादवि थाना लंका, कमि0-वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 0989/2017 धारा 323/353/427/504/506 भादवि थाना लंका, कमि0-वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह, चौकी प्रभारी संकटमोचन थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
3. का0 राजेश कुमार यादव , थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी